

राजस्थान -सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/एच-706/18/ दिनांक:-

आदेश

श्री हसन खॉ नर्स-2, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेण (मेडता सिटी) जिला नागौर को पासपोर्ट बनवाने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृत प्राप्त कर प्रस्थान करेंगे।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
4. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. विदेश में किसी भी राष्ट्रविरोधी/अवैधानिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होंगे।

उक्त स्वीकृती प्रशासनिक विभाग की आई.डी. क्रमांक 1992, दि 04.09.2018 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/एच-706/18/1469 दिनांक:- 6-11-18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी.क्रमांक 196 दिनांक 05.09.18 के क्रम में।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी.क्रमांक 6915 दिनांक 05.09.18 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके आई.डी.क्रमांक 1992 दिनांक 04.09.18 के क्रम में।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडता सिटी, नागौर।
6. चिकित्साधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेण जिला नागौर।
7. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।